रिपोर्ट पटवारी हल्का / आर0एल0आर0 ककराना 1398 16/11/21
सम्बन्ध मे जांच की गई। जिसके अनुसार जमाबन्दी में नाम दुला पुत्र बरकतअली
पहचान दस्तावेज में अब्दुल पुत्र बरकत अली दर्ज है अतः जमाबन्दी
पुत्र बरकत अली के स्थान पर अब्दुल पुत्र बरकत अली शुद्ध किया जाना उचित है।
16/11/2021

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :–

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है

तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

F.L.R.
16/11/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

–: आदेश :–

दिनांक :– 16/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षो एव तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.स.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
	ककराना	2075-78	334	दुला पुत्र बरकत अली	अब्दुल पुत्र बरकत अली

नोट :–शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :– राजस्व / 2020 / 1124-25

दिनांक – 16/11/21

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वारतो पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:10:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner